



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240641
CG-DL-E-29112022-240641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5304]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2022/अग्रहायण 8, 1944

No. 5304]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2022/AGRAHAYANA 8, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2022

का.आ. 5534(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78 (अ) दिनांक 4 फरवरी 1999 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में 592.000 किमी से 834.000 किमी तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-48 (पुराना एनएच-4) का कर्नाटक/महाराष्ट्र सीमा से पुणे खंड राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है ;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, महाराष्ट्र राज्य में उक्त खंड के संचालन और रखरखाव और भारतमाला परियोजना के तहत बीओटी (टोल) विधि पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर पेव्ड शोल्डर मानकों सहित छह लेन के सुधार करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -48 (पुराना एनएच-4) के 658.000 किमी से 725.000 किमी तक (डिजाइन चनेज 658.000 कि.मी. से डिजाइन चनेज 725.000 कि.मी. तक) एनएच-48 (पुराना एनएच-4) (पैकेज-II) के कागल-सतारा खंड को छह लेन में विकसित करने हेतु 24.01.2022 को प्रस्तुत बोली के सफल बोलीदाता के साथ दिनांक 26.05.2022 को मैसर्स कागल सतारा रोड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय अदानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णोदेवी सर्किल के पास, एस.जी. हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद 382 421, गुजरात, भारत में है, (जिसे इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा जाए) करार किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि.950(अ), तारीख 3.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि.15 (अ)], तारीख 12.1.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12. 10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013[सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23.03.2015], और बोली की नियत तारीख तक उसके बाद के संशोधन, और मौजूदा टोल शुल्क अधिसूचना S.O. 2890 (अ) दिनांक 24.06.2022 के अधिक्रमण में उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि यांत्रिक वाहनों पर, सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 66.319 कि.मी. (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और 6.81 कि.मी. लंबी संरचना (जिसकी समकक्ष लम्बाई 0.681 कि.मी. है) हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर 75%पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए या पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन/दो लेन के उपयोग हेतु आधार दर का 60% और छह लेन निर्माण हो जाने के बाद सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 63.209 कि.मी. (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और 37.91 कि.मी. लंबी संरचना (जिसकी समकक्ष लम्बाई 3.791 कि.मी. है) पर चार या अधिक लेन हेतु विनिर्दिष्ट आधार दरों का 100% नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्धीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है।

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धीत एवं संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु उपरोक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर पर शोध्य और संदेय होगा :

सारणी 2				
शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चैनेज)	निर्माण अवधि के दौरान		छह लेन के निर्माण के पश्चात	
	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
	निर्माण अवधि के दौरान		छह लेन के निर्माण के पश्चात	

महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में तसवाडे गांव के निकट एनएच-48 के किमी 694.400 (विद्यमान किमी/चैनेज.694.150) पर	66.319 कि.मी [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर]	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%	63.209 कि.मी [बाईपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर]	सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी उपरोक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर पर शोध्य और संदेय होगा:

निर्माण अवधि के दौरान

सारणी 3.1			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में तसवाडे गांव के निकट NH-48 के किमी/चैनेज 694.150 पर	0.321	3.21	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%
	0.360 (2-लेन फ्लाईओवर)	3.60	बिना किसी वार्षिक वृद्धि के ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 60% का 75%

संरचनाओं (60 मी. लंबाई से अधिक) का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी. में)	संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
	682.741	बड़ा पुल	0.214
	718.650	बड़ा पुल	0.107
कुल लंबाई			0.321

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी. में)	संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
	682.159	2-लेन फ्लाईओवर	0.360
कुल लंबाई			0.360

छह लेन के निर्माण के पश्चात :-

सारणी 3.2			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में तसवाडे गांव के निकट एनएच-48 के डिजाइन किमी 694.400 पर	3.791	37.91	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

संरचनाओं (60 मी. लंबाई से अधिक) का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	चैनेज (कि.मी. में)	संरचना का प्रकार	लम्बाई (कि.मी. में)
	682.741	बड़ा पुल	0.214
	718.650	बड़ा पुल	0.107
	678.830 से किमी 682.300	फ्लाईओवर	3.470
कुल लंबाई			3.791

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- (रुपए) तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र (होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास अथवा अधिक	संदाय की तारीख से एक माह

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. एक यांत्रिक वाहन जो नियमों के तहत अपनी श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ है, को शुल्क प्लाजा पार करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अतिरिक्त भार को हटा नहीं दिया जाता है। चालक या मालिक या यांत्रिक वाहन का प्रभारी व्यक्ति, जिसने अपनी श्रेणी के लिए निर्दिष्ट अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार लादा है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोडेड वाहन का प्रवेश कराने के लिए उक्त नियमों में लागू प्रावधान के अनुसार शुल्क संग्रहण एजेंसी के अनुसार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

8. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे रियायतग्राही के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तदनुसार उसमें उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधान के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, बशर्ते, हालांकि, ऐसा संशोधन शुल्क के पूर्ववर्ती संशोधन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक प्रभावी नहीं होगा।

[फा. सं. एनएचएआई/पीआईयू/केएलपी/एनएच -48/के-एस/पैकेज -II/टोल/2022-23/533]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th November, 2022

S.O. 5534(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.78(E), dated the 4th February, 1999 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the Karnataka / Maharashtra border to Pune section of NH-48 (Old NH-4) from Km 592.000 to Km 834.000 in the state of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highway Authority India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 26/05/2022 with M/s. Kagal Satara Road Private Limited having its registered office at Adani Corporate House, Shantigram, Near Vaishnodevi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad 382 421, Gujarat, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 24/01/2022 for the development of the Six laning of Kagal-Satara section of NH-48 (Old NH-4) (Package - II) section from Km 658.000 to Km 725.000 (design chainage Km 658.000 to design chainage Km 725.000) on National Highway No. 48(Old NH-4) in the State of Maharashtra of improvement six lane with paved shoulder standards on BOT(Toll) mode under Bharatmala Pariyojana on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT)basis and Operation and Maintenance of said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, read with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 issued vide Notification No. G.S.R 950(E) dated 03.12.2010, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 issued vide Notification No. G.S.R 15(E) dated 12.01.2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 issued vide Notification No. G.S.R 756(E) dated 12.10.2011, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 issued vide Notification No. G.S.R 778 (E) dated 16.12.2013, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 issued vide Notification No. G.S.R 26(E) dated 16.01.2014, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2014 issued vide Notification No. G.S.R 831(E) dated 21.11.2014, National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2015 issued vide Notification No. G.S.R 220(E) dated 23.03.2015, and its subsequent amendments upto bid due date, and in supersession of the existing toll fee notification bearing S.O. 2890 (E), dtd.24.06.2022,the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section during construction period at 75% of the rates specified in column (2) of Table 1 below for net road section length of 66.319 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 6.81 km (having structure length 0.681 km) for use of the four and more lane or at sixty per cent of the base rate for use of two lane/two lane with paved shoulder section and after construction of six laning at 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 63.209 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 37.91 km (having structure length 3.791 km) for use of the four and more lane and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Fee Plaza (s), namely: -

Table 2				
Location of Fee Plaza (chainage)	During Construction Period		After Construction of Six Laning	
	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
	During Construction Period		After Construction of Six Laning	
At Km/Ch. 694.400 (Existing Km/Ch.694.150) of NH-48 near Tasawade village(s) in Satara district of State Maharashtra	66.319 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	75% of the base rates mentioned in Table-1 above without any annual increase.	63.209 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee plaza(s), by converting the length of structures into an equipment length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above: -

During Construction Period

Table 3.1			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)
At Km/Ch. 694.150 of NH-48 near Tasawade village(s) in Satara district of State Maharashtra	0.321	3.21	75% of the base rates mentioned in Table-1 above without any annual increase.
	0.360 (2-lane flyover)	3.60	75% of 60% of the base rates mentioned in Table-1 above without any annual increase.

The details of structures (> 60 m length) are as under: -

S.No.	Chainage (in km)	Type of the Structure	Length (in Km.)
(i)	682.741	Major Bridge	0.214
(ii)	718.650	Major Bridge	0.107
Total length			0.321

S.No.	Chainage (in km)	Type of the Structure	Length (in Km.)
(i)	682.159	2-lane Flyover	0.360
Total length			0.360

After Construction of Six Laning:

Table 3.2			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable)
At Design Km. 694.400 of NH-48 near Tasawade village(s) in Satara district of State Maharashtra	3.791	37.91	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures (> 60 m length) are as under: -

S.No.	Chainage (in km)	Type of the Structure	Length (in Km.)
(i)	682.741	Major Bridge	0.214
(ii)	718.650	Major Bridge	0.107
(iii)	678.830 to km.682.300	Flyover	3.470
Total length			3.791

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is **Rs 315.00** (Three Hundred and Fifteen only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the fee plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency as per the applicable provision in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/PIU/KLP/NH-48/K-S/Pkg-II/Toll/2022-23/533]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.